भारतसरकार : GOVERNEMENT OF INDIA
वित्तमंत्रालय ::राजस्वविभाग
MINISTRY OF FINANCE :: DEPARTMENT OF REVENUE
कार्यालय : प्रधानमुख्यआयकरआयुक्त ,पुर्वोत्तरक्षेत्र
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, NER
प्रथमतल ,आयकरभवन ,क्रिश्चियनबस्ती ,जि.एस .रोड ,गुवाहाटी-781005
1ST FLOOR, AAYAKAR BHAWAN, CHRISTIAN BASTI, G.S. ROAD, GUWAHATI-781 005

Dated at Guwahati, the 15th of September,2022

आयकर विभाग, आयकर भवन, जी.एस. रोड, क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी में कैंटीन और खानपान की भर्ती के लिए निविदा आमंत्रण सूचना/**Notice Inviting Tender for Hiring of Canteen & Catering Service at Income Tax Department, Aayakar Bhawan, G.S. Road, Christian Basti, Guwahati.**

आयकर भवन, जी.एस. रोड, गुवाहाटी की पहली मंजिल पर कैंटीन और खानपान सेवा चलाने के लिए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र , गुवाहाटी द्वारा कैंटीन और खानपान सेवा चलाने में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रहने वाले ठेकेदारों / एजेंसियों / निजी फर्मों सेमुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।निविदाकारों को **डीडी**/बैंकर्स चेक के रूप में, 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) की ईएमडी के साथ निविदाएं जमा करना अनिवार्य है , जो कि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र , गुवाहाटी के पक्ष में देय है/Sealed Tenders are invited by the Principal Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati for Running of Canteen & Catering Service at the first floor of Aayakar Bhawan, G. S. Road, Guwahati from Contractors/ Agencies/ Private firms, having minimum experience of 3 (three) years in running canteen &catering service. The tenderers should submit the Tenders along with EMD of Rs. 20,000/- (Rupees Twenty Thousand only) in the form of DD/Banker's Cheque drawn in favour of the Principal Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati payable at Guwahati.

बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद और संविदा समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले संविदा प्राप्त करने पर ठेकेदार/एजेंसियां/निजी फर्म जो ऐसा संविदा प्राप्त करते हैं, उन्हें भी **डीडी**/बैंकर चेक के रूप में25000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) रुपये की सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना होगा जो कि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र , गुवाहाटी को देय होगा / On obtaining the contract after the completion of the bid process and before signing the contract agreement the Contractors/ Agencies/ Private firms who obtain such contract will also pay Security Deposit of Rs. 25000/- (Rupees Twenty Five Thousand only) in the form of DD/Banker's Cheque drawn in favour of the Principal Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati payable at Guwahati.

निविदा दस्तावेजसभी कार्य दिवसोंमें 15 सितंबर, 2022 से 27 सितंबर, 2022 तक सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीचकिसी भी समय आयकर अधिकारी (सीपीआरओ) कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र , गुवाहाटी,जी .रोड, क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी कक्ष संख्या 111, पहली मंजिल आयकर भवन, जी.एस. से प्राप्त किए जा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, यह www.incometaxnortheast.gov.in और www.incometaxindiaवेबसाइटपर भी उपलब्ध होंगे /The Tender documents can be collected from the Income Tax Officer (CPRO) O/o the Principal Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati Room No 111, 1stFloor AayakarBhawan,G.S. Road, Christian Basti, Guwahati on all working days between 10.00 AM to 5.00 PM from 15th September, 2022 up to 27thSeptember,2022. Alternatively, It will also be available on the website www.incometaxnortheast.gov.in and www.incometaxindia.gov.in.

इच्छुक निविदादाता अपनी निविदाओं के साथ अपने प्रस्ताव विधिवत भरे हुए जमा कर सकते हैं, जो 28 सितंबर, 2022 को दोपहर 2 बजे तक कमरा नंबर 111, पहली मंजिल, आयकर भवन, जी.एस. रोड, गुवाहाटी में लिए जाएंगे और 29 सितंबर2022 को अपराह्न 03:30 बजे प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र ,गुवाहाटी के कार्यालय मेंउपस्थित रहने के इच्छुक निविदाकारों की उपस्थिति मेंखोलेजाएंगे /Interested tenderers may submit their offers along with their tenders duly filled in that shall be received in Room No 111, 1st Floor, Aayakar Bhawan, G. S. Road, Guwahati till 2:00 PM on 28thSeptember, 2022 and will be opened on 29thSeptember, 2022 at 03:30 PM in the O/o the Principal Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati in the presence of the tenderers desirous to be present.

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र ,गुवाहाटी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है /The Principal Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati reserves the right to accept or rejectany tender without assigning any reason.

-Sd/-
[मंटू कुमार दास /**Mantu Kumar Das**]
संयुक्त आयकर आयुक्त (मुख्यालय), प्रशासन /Joint Commissioner of Income Tax(Hqrs.),Admin
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी/For Principal Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati

ज्ञा.सं/Memo No E-1/CPRO/Canteen/Pr.CCIT/NER/2022-23/ 10440-42. दिनांक/Date: 15/09/2022

प्रतिलिपि प्रेषित/ Copy to:
1.आयकर अधिकारी (प्रशासन),कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ,गुवाहाटी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/The ITO (Admn), O/o the Pr. CCIT, NER, Guwahati for necessary action.
2.सहायक निदेशक (पद्धति),कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त , गुवाहाटी को संबन्धित वैबसाइट में निविदा अपलोड करने हेतु प्रेषित/The AD [Systems], O/o the Pr. CCIT, NER, Guwahati for uploading the tender notice in the relevant website.
2. नोटिस बोर्ड , कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त , गुवाहाटी /Notice Board, O/o the Pr. CCIT, NER, Guwahati.

[अरिंदम चक्रबर्ती/**ArindamChakrabarty**]
आयकर अधिकारी (सीपीआरओ) /Income Tax Officer (CPRO)
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी/ Principal Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati
Phone: 9401991137, e-mail id: guwahati.pro.pccit@incometax.gov.in

निविदा का विवरण/TENDER DETAILS

निविदा दो बोली पद्धति में स्वीकार की जाएगी जो कि तकनीकी बोली और वित्तीय बोली है।/Tenders would be received in two bid system i.e. Technical Bid & Financial Bid.

लिफाफा 1(तकनीकी बोली) एवं लिफाफा 2(वित्तीय बोली) सहित निविदा दस्तावेज एक अलग मुहरबंद प्रावरण में जमा किए जाने है । जिसपर निविदा दस्तावेज लिखा होना है।दोनों लिफाफे अलग अलग मुहरबंद होने के उपरांत एक बार फिर लिफाफे में बंद करके मुहरबंद होने चाहिए तथा उसपर लिखा होना चाहिए ठेके पर कैंटीन चलाने के लिए निविदा एवं निविदा खोले जाने की तिथि. तथा इसे बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षरित प्रावरण पत्र सहित निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा किया जाना है/The Tender Document containing Envelope- I (Technical Bid) & Envelop- II (Financial Bid) has to be submitted in a separate sealed cover and super scribed as Tender Documents. Both the envelopes should be sealed separately and thereafter be kept in a cover and again sealed. The tender documents duly sealed and super scribed "**Tender for Running Canteen on Contractual Basis and date of Tender Opening**------"Should contain the following under a covering letter duly signed by the Authorized signatory of the Bidder:

1. तकनीकी बोली(मुहरबंद लिफाफे में) जिसपर तकनीकी बोली लिखा होना है।/Technical Bid (in sealed cover) and super scribed Technical Bid
2. वित्तीय बोली(मुहरबंद लिफाफे में) जिसपर वित्तीय बोली लिख होना है/Financial Bid (In sealed cover) and super scribed Financial Bid
3. रु 20000/- ई एम डी के रूप में/EMD of Rs. 20,000/-

निविदा दस्तावेज खोले जाने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति निम्न प्रकार होगी/The Procedure to be adopted for opening of tender documents would be as under:

A. उपर्युक्त मद (1) से (3) में उल्लिखित दस्तावेजो की पूरे पाए जाने पर ही निविदा दस्तावेज़ खोले जाएंगे और उनका सत्यापन किया जाएगा। यदि उपर्युक्त (1) से (3) में सूचीबद्ध किसी एक या अधिक मदो को निविदा में विनिर्दिष्ट निर्धारित तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो निविदा तुरंत अस्वीकार कर दी जाएगी।/ The Tender documents will be opened and verification done as the completeness of the documents mentioned at (1) to (3) above. In case, any one or more of the item listed at 1 to 3 above have not been furnished in the manner prescribed above, the tender will be forthwith rejected.

B. उपर्युक्त मद (1) से (3) के सत्यापन के उपरांत तकनीकी बोली खोली जाएगी। तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजो की मूल प्रति निविदा समिति के समक्ष अवलोकन हेतु उपलब्ध कराई जानी है।After verification check of the item (1) to (3) above, the technical bid will be opened. Original of the documents submitted with technical bid should be made available for verification before the tender committee.

C. समिति तकनीकी बोली में प्रस्तुत सभी दस्तावेजो का अवलोकन करेगी और उस सफल बोलीदाता की घोषणा करेगी, जिसने तकनीकी बोली के तहत निर्धारित सभी शर्तों को पूरा किया है। बोलीदाता, जो तकनीकी बोली चरण में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहते है, उनको खारिज कर दिया जाएगा तथा उनके द्वारा जमा की गई वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी। /The Committee will peruse all the documents furnished in the technical bid, and announce/declare the successful bidder who fulfils all the condition laid down under" Technical bid". Those bidders who fail to qualify the technical bid stage will stand rejected and their financial bid shall not be opened.

D. तकनीकी बोली चरण में अर्हता प्राप्त करनेवाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोली निविदा समिति द्वारा खोली जाएगी और उसके पश्चात समिति अपनी सिफ़ारिशे प्रस्तुत करेगी।/The Financial bid, of those bidders who qualified the technical bid stage, would be open by the tender committee and thereafter, it shall submit its recommendations.

नोट/Note:

1. निविदा में वांछित सभी दस्तावेज निविदा खोले जाने की तिथि में वैध होने चाहिए।/All the documents desired in the tender should be valid on the date of opening of Tender.
2. निविदादस्तावेज उसी आकृति/क्रम में होने चाहिए जो कि जारी किया गया है/Tender Documents should be submitted in the same shape/ order as issued
3. दर अंकों एवं शब्दों दोनों में दिए जाने हैं/Rates should be quoted in words and figures both.
4. तकनीकी एवं वित्तीय बोली को अलग अलग लिफाफे में रखा जाना है/Technical and Financial Bids should be kept in separate sealed envelopes.

तकनीकी बोली/TECHNICAL BID

प्रथम भाग ,जो कि अलग मुहरबंद लिफाफे में रखा जाना है, निविदादाता को विवरण देना है , जिसका निविदा समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाना है, जिसके आधार पर कोई भी एजेंसी वित्तीय बोली के लिए उपयुक्त/अनुपयुक्त घोषित की जायेगी।/ In the first part, which shall be put in separate sealed envelope, the tenderer shall give the details, which shall be evaluated by the Tender Committee on the basis of which any agency shall be declared qualified/disqualified for financial bid.

तकनीकी बोली के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज नीचे दिए गए क्रम में प्रस्तुत किए जाने हैं. निम्नलिखित तकनीकी सूचना/दस्तावेज दरपत्र के साथ जमा किए जाने हैं. यदि तकनीकी बोली के साथ नीचे दिए गए दस्तावेजों (क्रम संख्या 1 से 9)में से कोई भी एक नहीं/ नष्ट किया गया पाया जाता है तो तत्काल बोली को रद्द कर दिया जायेगा।तकनीकी बोली के साथ जमा किए गए दस्तावेज निविदादाता द्वारा स्वयं सत्यापित किया होना चाहिए./The documents submitted with the technical bid shall be arranged as per the order below. The following Technical information/ documents should accompany the quotation. If any of the documents found missing/tempered in the technical bid as given below(from S No 1 to 9) then the bid will be rejected straight way. Documents submitted in technical bid should be self- attested by the tenderer.

1. उपयुक्त सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कैटरिंग एवं कैंटीन सेवा के लिए खाद्य लाइसेंस/Food license for Catering and Canteen services issued by an appropriate authority of Government.
2. वैट/जीएसटी पंजीकरण/VAT/GST Registration
3. पैन कार्ड/PAN Card.
4. एक घोषणापत्र कि निविदादाता को भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी कानूनी या न्यायिक कार्यवाही में अभियुक्त नही किया गया है।/An Affidavit that the tenderer has not been convicted in any legal or judicial proceedings by any court of law in India.
5. विगत तीन वर्षों के आयकर निर्धारण आदेश या आयकर रिटर्न की प्राप्ति स्वीकृति/ Income tax Assessment order or Acknowledged of ITR of the Past 3 years.
6. विगत 4 वर्षों में से न्यूनतम दो वर्षों के दौरान कैंटीन और खानपान सेवाएं चलाने हेतु बोलीदाता के पास अनुभव होना चाहिए जिससे संबन्धित साक्ष्य प्रस्तुत की जानी है।/Evidence to the effect that the bidder has at least minimum two years' experience during past four years for running canteen & catering services.
7. क्या विगत 2 वर्षों में कभी निविदादाता द्वारा संचालित कैंटीन खानपान और गेस्ट हाउस सेवाएं रद्द की गई है, यदि हां तो कारण बताए।/Whether any Canteen Catering Services and Guest House Services run by the Tenderer, was cancelled during the last two year, if yes, give reason.
8. कैंटीन और खानपान सेवाएं चलाने के संबंध में किसी सरकारी संगठन से प्राप्त कोई प्रशंसा/ उपलब्धि/पुरस्कार/Any appreciation/achievement/award received from any Government Organization regarding running of Canteen and Catering Services.

वित्तीय बोली दस्तावेजो में नीचे सूचीबद्ध खाद्य/पेय मदों में निविदादाता/बोलीदाता द्वारा प्रभारित की जाने वाली प्रस्तावित दर होनी चाहिए। बोलीदाता नीचे सूचीबद्ध सभी वस्तुओं की आपूर्ति करने की स्थिति में होना चाहिए। किसी भी प्रकार की अधूरी जानकारी की स्थिति में बोली अस्वीकार कर दीजाएगी।/The Financial Bid documents should contain the rates proposed to be charged by the tenderer/bidder in respect of food/beverage items listed under. The bidder should be in a position to supply all the items listed as below. In case of incomplete information the bid is liable to be rejected.

A. कैंटीन के लिएमद, प्रथम तल, आयकर भवन, जीएस रोड, गुवाहाटी /Items for canteen, 1st Floor, Aayakar Bhawan, G S Road, Guwahati.

क्र.सं/ Sl. No.	उद्धृत मद/Indicative Items	बोलीदाता (एस) द्वारा उद्धृत -----दर/Indicative Rate quotedby the bidder(S)
1.	सामान्य थाली (चावल, रोटी, दाल, सब्जी, पापड़ और अचार) Normal Thali(Rice, Roti, Dal, Mixed Veg., Papad and Pickle)	
2.	विशेष थाली (चावल, रोटी, दाल, सब्जी, पापड़, अचार और पनीर) Special Thali(Rice, Roti, Dal, Fry, Mixed Veg. Papad Pickle and Paneer)	
3.	पूरी (5पिस)और सब्जी/Puri(5 pieces) and Vegetable	
4.	शाम का नाश्ता (जैसे समोसा, पकोड़ा, चाउमीन, रोल (वेज औरनॉन-वेज Evening Snacks (like Somosa, Pakoda, Chowmein, Roll (Veg & Non-veg)	
5.	मछली (1पिस) (रोहू, कतला छोटी मछलीयां) Fish (1 Piece) (Rohu, Katla, Small Fishes)	
6.	अंडा करी (1पिस) /Egg Curry- 1 piece	
7.	अंडा करी (2पिस) /Egg Curry-2 piece	
8.	ऑमलेट-सिंगल एग/Omelet-Single Egg	
9.	ऑमलेट-डबल एग/Omelet- Double Egg	
10.	चिकन करी [फूल प्लेट (4 पिस)] / (Chicken Curry(Full plate (4 pieces)	
11.	चिकन करी [हाफ प्लेट (2 पिस)] Chicken Curry(Half plate (2 pieces)	
12.	चाय (लाल) /Tea (Red) -130 ml	
13.	चाय (दूध) /Tea (Milk) -130 ml	
14.	कॉफी/Coffee-130 ml	
15.	पराठा सब्जी-1पिस/Paratha with Vegetable – 1 piece	
16.	आलू पराठा सब्जी-1 पिस/Aloo Paratha with Vegetable - 1 piece	
17.	छोला भटूरा, अचार के साथ /Chola Bhatora with pickle	
18.	दही/Curd-100 gm	
19.	बटर टोस्ट/Butter Toast – pieces	
20.	कोल्ड ड्रिंक/Cold Drink	
21.	बिस्किट्स (अलग-अलग ब्रांड के) /Biscuits(different brand)	
22.	मिठाई (रसगुल्ला, गुलाबजामुन, काजूबर्फी **जलेबी** आदि) -2 पिस/ Sweets,(Rasgolla, GolabJamun, Kaju Barfi Jalebi etc.)-2 piece	
23.	बोलीदाता (एस) के सुविधानुसार अन्य आइटम्स/ Other Items as per the convenience of the bidder(s)	

* सब्जी का रोजाना और मौसम के अनुसार रोटेशन किया जाना है।/Vegetables should be rotated on a daily basis and also on seasonal basis.

प्रमुआआ, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी, आयकर भवन, जीएस रोड, क्रिश्चियन बस्ती,गुवाहाटी, असम के कार्यालय में ठेके पर कैंटीन के संचालन हेतु नियमे और शर्तें।/**Terms and Conditions for Running Canteen on Contractual Basis at O/o Pr. CCIT, NER,**

1. यह कार्यालय केवल दो वर्षों की अवधि के लिए ठेके पर कैंटीन चलाने की इच्छा रखता है जिसे निविदादाता के संतोषजनक प्रदर्शन परकेवल प्रमुआआ, पूर्वो.क्षे., गुवाहाटी के निदेश पर एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसे किसी विस्तार से पूर्व प्रमुआआ, पूर्वो.क्षे. कार्यालय के सीपीआरओ द्वारा इससंबंध में एक संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।/This office desires to run the Canteen on Contractual basis for a period of two years extendable for another year on satisfactory performance of the tenderer at the sole direction of the Pr. CCIT, NER, Guwahati. In this respect, the CPRO in the O/o Pr.CCIT, NER will issue a satisfaction certificate before any such extension.

2. ठेकेदार के पास भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का लाइसेन्स होना चाहिए। यह कैंटीन में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है।/**The Contractor must have a licence from the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). This is being done to ensure that safe and nutritious food is served in the canteen.**

3. स्वीकृत निविदादाता को कैंटीन का संचालन प्रथम तल, आयकर भवन, जीएसरोड, गुवाहाटी-781005 में करना होगा। निविदादाता को सलाह दी जाती है कि निविदा जमा करने से पूर्व वे साइट पर जाए। निविदादाता को स्वयं ही व्यवसाय के परिमाण का आकलन करना होगा। आयकर विभाग व्यवसाय के न्यूनतम/अधिकतम गणना की प्रत्याभूति नहीं देगा।/The approved tenderer has to run the canteen at 1st Floor of the Aayakar Bhawan, G.S. Road, Guwahati-781005. The tenderer are advised to visit the site, before submitting the tender. The tenderer should assess the volume of the business by himself. The Income Tax Department will not guarantee the minimum/maximum count of the business.

4. जमाराशि का विवरण निम्न प्रकार है: The details of deposits are as under:-
   a. ईएमडी/EMD:- Rs 20000/-
   b. सुरक्षा राशि/Security Deposits:- Rs 25000/-

सभी असफल बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई बयाना राशि बोलीदाता को वापस कर दी जाएगी। हालांकि सफल बोलीदाता के मामले में उनके द्वारा ईएमडी और सुरक्षा जमाराशि को प्रमुआआ, पूर्वो.क्षे., गुवाहाटी द्वारा संविदा की अवधि तकसुरक्षित रखा जाएगा और संविदा की समाप्ति के पश्चात कैंटीन परिसर के सत्यापन के बाद ही केवल सफल निविदादाता को जमाराशि वापस कर दी जाएगी। ऐसे किसी भी धनवापसी के पूर्व प्रमुआआ, पूर्वो.क्षे. कार्यालय के सीपीआरओ द्वारा इस संबंध में एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।/The earnest money deposited of all unsuccessful bidders shall be returned to the bidder. In the case of successful bidder, the EMD and the Security Deposits will however be retained by the office of the Pr. CCIT, NER, Guwahati for the period of currency of the contract and will be refunded to successful tenderer only after expiry of agreement period and after due verification of the canteen premises by the O/o Pr.CCIT, NER, Guwahati. In this respect, the CPRO in the O/o Pr.CCIT, NER will issue a certificate before any such refund.

5. कैंटीन सेवा सामान्य रूप से 6(छह:) कार्य दिवस अर्थात सोमवार से शनिवार, प्रात: 10.00 बजे से शाम 07.00 बजे तक निर्दिष्ट लंच समय के लिए तथा आवश्यकता पड़ने पर अवकाश के दिन पर भी रहेगी। वित्तीय बोली के तहत सूचीबद्ध वस्तुओं को रखने एवं परोसने की ज़िम्मेदारी निविदादाता की होगी। हालांकि प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार निविदादाता को कैंटीन सेवा किसी भी अवकाश/ऑफ ड्यूटि समय पर भी उपलब्ध करनी होगी।/The Canteen will normally function for 6 (Six) working days i.e. from Monday to Saturday and will run from 10.00 AM to 7.00 PM with Specified Lunch Hours and also holidays if required. It will be the responsibility of tenderer to keep and to serve the items as listed under Financial Bid. However, tenderer will have to make the service of canteen available on any holiday/ at off duty hours as per administrative requirements.

6. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि भोजन की तैयारी करते समय सरकार द्वारा प्रतिबंधित किसी भी योजक/परिरक्षक का व्यवहार नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा करते हुए प्रमुआआ, पूर्वो.क्षे., गुवाहाटी के संज्ञान में आता है, तो संविदा को रद्द कर दिया जाएगा और सुरक्षा जमाराशि को जब्त कर लिया जाएगा।/The Contractor will ensure that no additive/ preservative banned by the Govt. will be used in any of the food preparations, If any such act comes to the knowledge of the Pr.CCIT, NER, Guwahati,the Contract is liable to be cancelled and the Security Deposit shall be forfeited.

7. इस कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा तैयार किए गए मेनू कार्ड के माध्यम से कैंटीन में दरो के साथ मदो की सूचीप्रदर्शित की जानी है। यदि ठेकेदार अस्वीकृत दर पर वस्तुओं को बेचते हुए पाया जाता है तो बिना किसी नोटिस के संविदा को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।/sList of Items with rates has to be displayed in the Canteen via Menu card prepared by the contractor for this purpose. In case the contractor is found selling items on unapproved rates, the contract shall be terminated immediately without any notice.

8. आयकर विभाग, गुवाहाटी स्वीकृत निविदादाता को निम्नलिखित मद प्रदान करेगा: The Income Tax Department, Guwahati will provide following items to the approved tenderer:
   a. किचन, स्टोरेज एवं डाइनिंग स्पेसके लिए किराया रहित स्पेस /Rent free space for canteen including kitchen, storage space and dining space;
   b. मुफ्त पानी/Free water;
   c. बल्ब/ट्यूब और पंखे लगाने के लिए नि:शुल्क बिजली/Free electricity for bulbs/tubes and fans as installed.
   d. कुल 4सीटर-12 फर्नीचर-डाइनिंग सेट्स, काउंटर वाल रेक और केबिनेट /Furniture- 12 nos. of 4 seater- dinning sets, counter, wall rack and cabinets;
   e. वॉटर प्यूरिफाइर/Water Purifier.
   f. अनुलग्नक-I के अनुसार अन्य मदें/Other items as per Annexure-I

9. पैरा 8 में उपर्युक्त मदो की सुरक्षा एवं रखरखाव की ज़िम्मेदारी निविदादाता की होगी।/Safety and maintenance of the above items in para 8 will be responsibility of the tenderer.

10.उपयुक्त प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना मौजूदा कैंटीन परिसर में परिवर्धन/परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं होगी।संपत्ति/फिक्सचर में किसी भी तरह के नुकसान को ठेकेदार द्वारा ठीक किया जाएगा।/Addition/alternation/modification in the existing canteen premise are not permissible without prior approval of the appropriate authority. Any damage to the property/fixtures will have to be rectified replaced by the Contractor.

11.अन्य मदो जैसे बर्तन, ओवन गैस सिलिन्डर आदि की व्यवस्था करने की पूरी ज़िम्मेदारी निविदादाता की होगी। खाद्य पदार्थों को मक्खियों तथा कीड़ों से बचाने के लिए उन्हे ढकने का प्रबंध भी निविदादाता करेगा।निविदादाता अपने खर्च पर वॉशबेसिन पर साबुन, टॉवल आदि की व्यवस्था करेगा।/It will be the sole responsibility of the tenderer to arrange for other items including utensils, oven gas cylinder etc. The Contractor shall make the arrangements for keeping all eatables property covered to protect from files and insects. The Contractor will arrange Soap, towel etc. at the washbasin at his own cost.

12.कैंटीन और उसके आसपास की सफाई की एकमात्र ज़िम्मेदारी निविदादाता की होगी। रसोई को हमेशा साफ रखना होगा।खाना पकाने के बर्तन, अन्य बर्तन आदि को वॉशिंग पाउडर से साफ रखा जाये।/It will be the sole responsibility of tenderer to maintain hygienic conditions in and around canteen. The Kitchen shall always to be kept clean. The cooking utensils, dishes etc, will be kept clean with standard washing powder.

13.ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अच्छे गुणवत्ता वाले फल, सब्जियों एवं अन्य सामग्रियों का ही प्रयोग हो।/The contractor will ensure that all fruits and vegetables and other ingredients are of standard quality.

14.ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि फल और सब्जियों को पोटेशियम परमेगनेट सोलुशन में धुला हो।/The contractor will ensure that fruits and vegetables are washed in potassium permanganate solution.

15.निविदादाता यह सुनिश्चित करेगा कि चिप्ड/टूटे/दाग/चिकनाई वाले कटलेरी का प्रयोग न किया जाए।/The Contractor will ensure that chipped/broken crockery or greasy/ stained cutlery is not used in service.

16.केवल गैस पर खाना पकाने की अनुमति दी जाएगी। रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेब चलाने के अलावा खाना पकाने के लिए बिजली और कोयले के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।/Only Gas based cooking will be allowed. Use of Electricity & coal for cooking purpose will not be allowed except for running refrigerator and microwave.

17.कॉल करने पर कार्यालय के सभी अनुभागों में चाय तथा नाश्ता देने की एकमात्र ज़िम्मेदारी निविदादाता की होगी।/It will be the sole responsibility of the tenderer to serve tea and snacks in all sections of office on call.

18.आयकर विभाग के सभी कर्मचारियों को परोसे जाने वाले खाने योग्य/अन्य सामग्री के लिए देय राशि की वसूली की पूरी ज़िम्मेदारी निविदादाता की होगी।/It will be the sole responsibility of the tenderer to recover amount due for eatable/ other items served to Income Tax Department staff members.

19.मादक पेय, तंबाकू की बिक्री एवं सेवाएं सख्त वर्जित हैं।/।/Sale & Services of Alcoholic drinks, Tobacco are strictly prohibited.

20.ठेकेदार को आवश्यकता पड़ने पर नामित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। वह रखरखाव और खानपान सेवाओं से संबन्धित किसी भी पहलू में विभाग द्वारा दिए जाने वाले सभी निदेशों का पालन करेगा।/The Contractor will have to present himself before the designated authority as and when requires. He will carry out all the instructions which may be given by the Department concerning any aspects of maintenance and catering services.

21.ठेकेदार अपेक्षित संख्या में जनशक्ति को नियोजित करेगा। हालांकि ठेकेदार कैंटीन में बालश्रम की अनुमति नहीं देगा। ठेकेदार की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह उनके द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवाए और उसकी प्रति विभाग को भेजे।यदि उसका कोई कर्मचारी अनुपस्थित हो तो ठेकेदार उपयुक्त विकल्प की व्यवस्था करेगा।/The Contractor will engage requisite numbers of manpower. However, the contractor will not allow child labour in the canteen. It will be the responsibility of the contractor to get the police verification done of the employees engaged by him and will submit a copy to the Departments. The contractor also shall, arrange for suitable substitute, if any of his staff is absent.

22.ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि परिचालन समय के दौरान हर समय सेवाओं के प्रबंधन हेतु केटरर का एक अधिकृत कार्यकारी मौजूद रहेगा।/The Contractor will ensure that an authorized executive of the caterer is present for managing the services at all times during the operational timings.

23.ठेकेदार के कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान उचित वर्दी, एप्रन, टोपी और हाथ के दस्ताने पहनना होगा, और यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह कैंटीन संचालन के लिए उसके द्वारा नियोजित कर्मचारियों को वर्दी और पहचान प्रमाण प्रदान करेगा।/The Staff of Contractor should wear proper Uniform, Apron, Caps, and Hand Gloves along with dusting cloths while on duty, and it will be the responsibility of the Contractor to provide uniform and identity proof to the staff employed by him for running the canteen. The Contractor should provide to their employees.

24.मिट्टी के तेल का उपयोग निषिद्ध है और खाना पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली हीटिंग सिस्टम सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों के साथ होना चाहिए। इसे उपयोग करने से पहले प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त , पूर्वोत्तर क्षेत्र ,गुवाहाटी के कार्यालय को दिखाया जाना अनिवार्य है/ Use of Kerosene oil is prohibited and the heating system for cooking has to be with best safety standards the same shall be shown to the O/o Pr.CCIT, NER, Guwahati before it is put to use.

25.कैंटीन क्षेत्र के अंदर हीटिंग के लिए केवल माइक्रोवेव ओवन या हॉट-केस के उपयोग की अनुमति है/ Use of Microwave oven or hot-case only is permitted for heating inside the canteen area.

26.चूंकि यह कार्यालय परिसर एक "प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र" है, अतः विक्रेता(ओं) से अनुरोध किया जाता है कि वे सब्जियां/खाना पकाने के सामान लाने के लिए किसी भी प्रकार के प्लास्टिक बैग का उपयोग न करें। साथ ही पका हुआ भोजन/पीने के पानी/चाय आदि परोसने के लिए किसी भी प्लास्टिक क्रॉकरी का उपयोग न करें/ Since this office premises is a "Plastic Free Zone", the vendor(s) is/are requested not to use any kind of plastic bags for bringing in any kind of vegetables/ cooking items/as well as not use any plastic crockery during the serving of cooked food/drinking water/tea etc.

27.विक्रेता निर्धारित मानदंडों के अनुसार कचड़े का निपटान सुनिश्चित करेगा । प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गए निदेशों का पालन करना अनिवार्य है / The vendor (s) will ensure the proper disposal of garbage as per the prescribed norms. The instructions by the O/o PCCIT, NER from time to time shall be followed.

28.इस कार्यालय में पीने का पानी क्रय किया जाता है। विक्रेता/विक्रेताओं से पानी का सदुपयोग करने का अनुरोध किया जाता है / This office is in practice of purchasing of potable water; the vendor(s) is/ are requested to use the water judiciously.

29.ठेकेदार द्वारा अपशिष्ट सामग्री का निपटान प्रचलित नियमों और विनयमों के अनुसार किया जाएगा /Disposal of waste material shall be done by the contractor in accordance with the prevalent rules and regulations.

30.ठेकेदार किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली चीज़ नहीं लाएँगे या बनाएँगे/बिक्री नहीं करेंगे / The Contractors shall not bring or cook/sale anything which may hurt the religious feelings of any community.

31.किसी भी प्रकार के मतभेद या विवाद की स्थिति में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त , पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी का निर्णय ही अंतिम होगा/ In case of any dispute of difference shall be sorted out mutually and in case of disagreement , the decision of the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati will be final.

32.चाय और कॉफी के संबंध में विभाग अपने निर्देशानुसार वेंडिंग मशीन का प्रयोग निर्धारित कर सकता है/ In respect of Tea and Coffee, the department will reserve its right with respect to use of Vending Machine as per their direction

33.सुधार के लिए कर्मचारियों द्वारा दिये गए सुझावों की रिकॉर्डिंग रखने के लिए ठेकेदार एक सुझाव पुस्तिका बनाएगा । प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त , पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटीसे अनुमोदन प्राप्त होने पर ऐसे सुझावों पर कार्य किया जाएगा । प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त , पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटीद्वारा निरीक्षण हेतु इस पुस्तिका को खुला रखा जाना अनिवार्य है/ The Contractor shall maintain a suggestion book for recording of suggestions for improvement by the staff. Such suggestions,after the approval of the Pr. CCIT, NER should be forthwith acted upon. The suggestion book should be kept open for inspection by the O/o Pr. CCIT, NER.

34.ठेकेदार ऐसे सभी सभी दावों,नुक़सानों,हानियों और खर्चों से विभाग की क्षतिपूर्ति करेगा और उसे हानिरहित रखेगा The contractor shall indemnify and hold the Department harmless from and against all claims, damages, losses and expenses arising out of, or resulting from the works/ Services under the Contract provided by the contractor.

35.ठेकेदार द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों, जीएसटी अधिकारियों, आयकर अधिकारियों आदि के नियमों और विनियमों का पालन करना अनिवार्य है । इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न अधिनियमएवं श्रम कानूनों के प्रावधान समय-समय पर लागू होंगे/The Contractor shall abide by the rules and regulations of the local authorities, GST authorities, Income Tax authorities etc. Besides the provisions under various labour laws and Act of State and Central Governments in force from time to time.

36. दोपहर के भोजन के निर्धारित समयावधि के दौरान विभागीय कर्मचारियों के लिए जगह आरक्षित रखा जाना अनिवार्य है।/During the designated lunch time, seats are to be kept reserved for the Departmental Staff.

37. सफल निविदादाता को सूचना प्राप्त होने पर 7 दिनों के भीतर आयकर विभाग, गुवाहाटी के अनुबंध के प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा/The successful tenderer will have to accept the offer of contract of the Income Tax Department, Guwahati within a 7 days on receipt of communication.

38. सफल निविदादाता, अनुबंध की स्वीकृति के 7 दिनों के भीतर आयकर विभाग, गुवाहाटी के साथ एक समझौता करेगा और उसी अवधि के भीतर सुरक्षा राशि जमा करेगा / The successful tenderer will enter into an agreement with the Ihcome Tax Department, Guwahati within a 7 daysof acceptance of the offer of contract and deposit the security amount within the same period.

39. ईएमडी/सुरक्षा जमा की जब्ती /Forfeiture of EMD/ Security Deposits;

a. यदि सफल निविदादाता अनुबंध करने से इंकार करता है या निविदा की स्वीकृति के सात दिनों के भीतर सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है, तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी/ If the successful tenderer refuses to enter into an agreement or fails to deposit the security deposits within seven days of acceptance of tender, EMD will be forfeited.

b. यदि अनुमोदित निविदादाता अनुबंध को छोड़ देंता है, तो सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी/If the approver tenderer abandons the contract, security deposits will be forfeited.

c. यदि अनुबंध कोई खराब प्रदर्शन/किसी भी खंड के उल्लंघन या निविदादाता के किसी भी बुरे कार्य के कारण आयकर विभाग, गुवाहाटी द्वारा अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है, तो सुरक्षा जमा जब्त कर लिया जाएगा/ If the contract is terminated by Income Tax Department, Guwahati due to poor performance/ Violation of any clause of agreement or any bad act of tenderer, security deposit will be forfeited.

40. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त , पूर्वोत्तर क्षेत्र , गुवाहाटी के पासबिना कोई कारण बताए, 30 दिनों का नोटिस देते हुए समझौते को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा The Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahatireserves the right to terminate the agreement at his option at an time giving,30 days' notice without assigning any reason, thereof.

41. परिसर में ठेकेदार का कोई स्वामित्व अधिकार नहीं होगा/The contractor will not have any ownership rights on the premises.

42. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र , गुवाहाटी द्वारा अधिकृत को किसी भी समय खाद्य सामग्री का निरीक्षण करने का अधिकार होगाऔर यदि खाने योग्य नहीं पाया जाता हैतो उसे निकाल दिया जाएगा और परीक्षण के लिए पीएफए प्रयोगशाला आदि में भेजा जाएगा/Persons, authorized by the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati will have the power to inspect the food stuffs at any time, and if not found worth eating, the same shall be discarded and the same would be sent to PFA Laboratory etc. for testing.

43.निविदादाताद्वारा निविदा प्रस्तुत किए जानेको निर्धारित नियमों/शर्तों की स्वीकृति माना जाएगा। निविदादाता की ओर से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफलता या आवंटन किए जानेके विषय में किसी भी प्रकार का प्रचार अमान्य होगा और निविदादाताके निविदा को रद्द करने का उत्तरदायी वह स्वयं होगा/The submission of the tender by the tenderer shall be taken to signify the acceptance of the stipulated terms/ conditions. Any failure on the part of tenderer to observe the prescribed procedure or any attempts to canvas for allotment or work will be prejudice and the tenderer will be liable for exclusion of consideration.

44.निविदादाताजो सेवा प्रदान करने जा रहा है,उसे उसका अनुभव होना चाहिए/The tenderer must be having experience of service to be provided.

45.ठेकेदार शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को मानक अंकन के साथ चिह्नित करेगा ताकि ये दोनों किसी भी स्थिति में मिश्रित न हों The Contractor shall mark the veg and non-veg food with standard marking so that these two are not mixed in any case.

46.किसी भी मामले में अन्य किसी सरकारी एजेंसी द्वारा मांगे जाने पर आयकर विभाग, गुवाहाटी किसी भी लाइसेंस शुल्क / फिटनेस आवश्यकता आदि देनेके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।ठेकेदारको कैंटीन की स्थापना के लिए जीएमसी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार यदि कोई आवश्यक लाइसेंस शुल्क देनातो उसका भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। ठेकेदार अन्य सरकारी एजेंसी द्वाराप्रभारित किसी अन्य शुल्क/चार्ज के लिए उत्तरदायी होगा /In no case the Income tax Department, Guwahati will be responsible for any License fee/ fitness requirement etc, if any, as required by any other government agency. The Contractor will bound to pay necessary license fee according to the rates prescribed by the GMC for establishment of the canteen, if any. The Contractor will be liable for any other fee/ charges by other Government Agency.

47.ठेकेदार अपने कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी, ओवरटाइम मजदूरी (यदि कोई हो), वैधानिक भुगतान, भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा में योगदान, बोनस, ग्रेच्युटी, यदि देय हो, वर्दी और किसी भी प्रकृति के अन्य सभी भुगतानों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा/The contractor shall be solely responsible and liable for all payments due to his employees including salaries, wages, overtime wages (if any), statutory payments, contributions to Provident Fund and Employees State Insurance, Bonus, Gratuity if payable, Provisions of Uniforms and all other payments of whatsoever nature.

48.मुख्य मेनू के अधीन परोसी जाने वाली वस्तुओं की दरें अनुबंध की अवधि के दौरान स्थिर रहेंगी।जो कि खाद्य पदार्थों, दूध चीनी और चाय के W.P.I के आधार पर दर में वार्षिक संशोधन के उपरांत निकटतम सम्पूर्ण रुपए में संगणित की जायेगी/The rates of items served as a part of main menu shall remain firm throughout the contract period subject to annual revisions in rate, on the basis of W.P.I of food items, milk sugar &tea and the worked out rate shall be rounded off to nearest rupee.

49.ठेकेदार प्रत्येक काउंटर पर दर सूची का प्रदर्शन स्पष्टता से करेगा/ The Contractor will prominently display rate list on each counter.

50.ठेकेदार को अस्थायी पहचान पत्र/गेट पास जारी करने के लिए अपने कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवाना होगा और इसे प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र ,गुवाहाटी के आयकर अधिकारी (सीपीआरओ), कार्यालय में जमा करना होगा। किसी भी स्टाफ के परिवर्तन होनेपरपहले जारी किए गए पहचान पत्र/गेट पास कोआयकर अधिकारी (सीपीआरओ) के पास जमा किया जाना अनिवार्य है और नया आवेदन जमा किया जा सकता /The contractor will have to get the police verification of his staff done and submit the same to the Income Tax Officer (CPRO), O/o of PCCIT, NER, Guwahati for issue of temporary identity cards/ Gate Pass. On change of staff, if any, the identity cards/ Gate Passes issued earlier will be submitted to Income Tax Officer (CPRO) and fresh application may be submitted.

51.अनुबंध की प्रारंभिक अवधि दो वर्ष की होगी। अनुबंध की अवधि के दौरान प्रदान की जा रही सेवाओं की आवधिक समीक्षा के पश्चात यदि पारस्परिक रूप से सहमति हो तो दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अनुबंध को प्रदर्शन के आधार पर और एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है /The Initial Period of the Contract will be of two years subject to periodic review of the services being provided during the term of the contract. On expiry of the two year period the contract may be increased by another one year based on the performance and if agreed mutually.

52.इस अनुबंध के संबंध में लागू सभी करों का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा /All taxes applicable in respect of this contract shall be paid by the contractor

53.किसी पंजीकृत फर्म/कंपनी द्वारा निविदा प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में, इसे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा या उसके प्रत्येक भागीदार/निदेशक द्वारा अलग से हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है । किसी भागीदार/निदेशक की अनुपस्थिति मेंऐसा करने के लिए उसे अधिकृत करने वाले मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्ति द्वाराइस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। निविदा के साथ मुख्तारनामाप्रस्तुत किया जाना और यह खुलासा करनाअनिवार्य है कि फर्म भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1952 के तहत पूरी तरह से पंजीकृत है / In the event of the tender being submitted by a registered firm/company, it must be signed by an authorized signatory or separately by each partner/director thereof or in the event of absence of any partner/director, it must be signed on his behalf by a person holding a power of attorney authorizing him to do so, such power of attorney to be produced with the tender, and it must disclose that the firm is dully registered under the Indian Partnership Act, 1952.

कार्य निष्पादन मूल्यांकन **Performance Evaluation:-**

54.ठेकेदार के कार्यनिष्पादन/गुणवत्ता जांच की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। अनुबंध को तभी बढ़ाया जाएगा जब कैटरर का कार्य संतोषजनक पाया जाएगा/ The performance/ quality Check of the contractor will be reviewed regularly, the agreement shall only be extended in the event of the performance of the caterer is found satisfactory throughout.

55.प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र , गुवाहाटी के कार्यालय को ठेकेदारद्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं और कैटरर द्वारा बेचे/परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा/ The O/o Pr. CCIT, NER, Guwahati will have the right to inspect the Contractor facilities maintained and the food items being sold/ served by the caterer at any time.

56.कैंटीन के संचालन या बेची जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में जनता से प्राप्त किसी भी शिकायत को सुनना और सुधारनाठेकेदार का दायित्व होगा / It will be the liability of the contractor to rectify any complaint received from the public regarding the operation of the canteen or the quality of food item being sold.

57.ठेकेदार और उसके कर्मचारियों का विनम्र व्यवहार होना अनिवार्य है और यदि दुर्व्यवहार की कोई शिकायत प्राप्त होती हैतो दोषी व्यक्तियों को आयकर भवन, गुवाहाटी से हटाने के लिए कहा जाएगा/ The Contractor and his staff shall behave very courteously and if any complaint of misbehave is received, the guilty persons shall be asked to be removed from AayakarBhawan, Guwahati.

58.प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त , पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी के पास बिना कोई कारण बताए निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने और निविदाएं आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित है /The Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati reserve the right to accept or reject and tender or reserves the right to call the tenders without any assigning any reason.

<u>शपथपत्र/UNDERTAKING</u>

मैं/हम अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं/हम मद के अनुपालन का वचन देता हूं/ I/ We the undersigned, certify that I/ we have gone through the terms and conditions mentioned in the tender documents and undertake to comply with item.

नाम /Name:-

बोलीदाता का सील तथा हस्ताक्षर / Seal and Signature of Bidder.

अनुलग्नक –I/**Annexure- I**

क्रम संख्या/Sl. N	सामग्रियाँ/Items	परिमाण/Quantity
1	गैस रेंस /Gas Rance	1
2	गैस रेंस /Gas Rance	1
3	2 डोर रेफ्रिजरेटर (500 लीटर) /2 Door Refrigerator (500 ltrs)	1
4	बैनमेरी (2 और 4 चैंबर) /Bainmarie (2 & 4 Chamber)	1
5	बड़ी देग्ची /Degchi Big	1
6	मध्यम आकार की देग्ची/Degchi Medium	2
7	बड़ी कढ़ाई / Kadai Big	1
8	मध्यम आकार की कढ़ाई / Kadai Medium	1
9	सॉस पैन / Sauce Pan	2
10	कोलंडर /Colander	1
11	फ्राइंग पैन / Frying Pan	2
12	परफ़ोरेटेड स्पून/ Perforated Spoon	1
13	बड़ी कुंती/ Kunti Big	1
14	बड़ा लेडल / Ladle Big	2
15	मध्यम आकार का लेडल / Ladle Medium	2
16	स्लाइसर/Slicer	1
17	प्लास्टिक के बक्से /Plastic Crates	2
18	कूड़ादान /Litter Bin	1